नईदुनिया

संपादकीय

देश में महिला सुरक्षा का प्रश्न

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की यौन हिंसा के बाद हुई हत्या ने एक बार फिर साबित किया है कि देश में कामकाजी महिलाओं के लिये कार्यस्थल पर परिस्थितियां कितनी असुरक्षित हैं। वह भी इतनी भयावह कि कार्यस्थल पर ही प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ यह सब वीभत्स घट जाता है। निश्चित रूप से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न मानव अधिकारों का सरासर उल्लंघन ही है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिये सुरक्षा अनुकूल वातावरण बनाने के मद्देनजर विशाखा दिशा-निर्देश जारी करने के सत्ताईस साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को डॉक्टरों की सुरक्षा को संस्थागत बनाने के लिये तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर देश की सर्वोच्च अदालत के निर्देश के अनुपालन हेतु गठित एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स को चिकित्सा पेशवरों की सुरक्षा, महिला चिकित्सकों के लिये अनुकूल कामकाजी परिस्थितियां बनाने तथा उनके हितों की रक्षा के लिये प्रभावी सिफारिशें तैयार करने का काम सौंपा गया है। विश्वास किया जाना चाहिए कि ये सिफारिशें यदि जमीनी स्तर पर भी प्रभावी साबित हुईं तो किसी भी पेशे में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिये असरकारी साबित होंगी। लेकिन यह तभी संभव है जब सभी हितधारक एक स्तर पर एकजुट होकर इस दिशा में काम करेंगे। निस्संदेह, किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने के वक्त तमाम तरह के उपक्रम होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यही वजह है कि नई कार्ययोजना बनाते समय इस बात का आकलन करने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है कि महिला सुरक्षा को लेकर मौजूदा कानून और दिशा-निर्देश जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में कितने सफल रहे हैं। सही मायनों में कानून बनाने और दिशा-निर्देश जारी करने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका अनुपालन कितने पारदर्शी व संवेदनशील दृष्टि से किया जाता है। साथ ही विगत के अनुभवों से भी सबक लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है।

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं कि वर्ष 2012 के निर्भया कांड के बाद देश में कोलकाता कांड में भी उसी तरह की तल्ख प्रतिक्रिया सामने आई है। जिसके बाद आवश्यकता महसूस की गई कि ऐसे क्रूर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने वाले कानून लाये जाएं। कालांतर देश में यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम अस्तित्व में आया। दरअसल, महिलाओं के लिये सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ही विशाखा दिशा-निर्देशों के विस्तार के रूप में इसे अधिनियमित किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि पिछले साल, देश की शीर्ष अदालत ने इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया था। साथ ही इससे जुड़ी अनिश्चितताओं की ओर भी संकेत दिया था। इसके उदाहरण के रूप में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निर्भया फंड अक्सर नकारात्मक कारणों से सुर्खियों में रहा है। जिसमें आवंटित धन का पर्याप्त रूप में उपयोग न करना या फिर इस आवंटित धन का दुरुपयोग होना शामिल है। करीब एक दशक में देश के विभिन्न राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिये महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये आवंटित धनराशि का लगभग छिहत्तर फीसदी धन ही खर्च हो पाया है। निश्चित रूप से महिला सुरक्षा की ऐसी चुनौतियों के बीच कम धन का खर्च होना एक विडंबना ही कही जाएगी। वहीं इस दौरान देश में दर्ज किये गए बलात्कार के मामलों की संख्या में केवल नौ फीसदी की ही गिरावट दर्ज की गई है। निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शुरू की जाने वाली किसी भी नई पहल पर इन तमाम गंभीर तथ्यों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। इसमें दो राय नहीं कि महिलाओं की सुरक्षा और कार्यबल में उनकी बड़ी भागीदारी तब तक अधूरी कही जाएगी, जब तक हम न केवल अपराधियों के खिलाफ बल्कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई नहीं करते, जो अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही के लिये दोषी पाये जाते हैं।

यूसीसी और जाति व्यवस्था पर भ्रामक आख्यानों का जवाब

दृष्टिकोण

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

अनुच्छेद 44 को 23 नवंबर, 1948 को संविधान सभा में डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद 35 के प्रारूप के रूप में पेश किया गया था और उसी दिन सर्वसम्मति से पारित किया गया था। हालांकि, चर्चा के दौरान, कुछ मुस्लिम सदस्यों ने प्रावधान जोड़ने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए, अर्थात, बशर्ते कि कोई भी समूह, वर्ग, समुदाय या लोग अपने व्यक्तिगत कानून को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होंगे, यदि उनके पास ऐसा कोई कानून है, और, बशर्ते कि किसी भी समुदाय का व्यक्तिगत कानून जिसकी गारंटी क़ानून द्वारा दी गई है, समुदाय की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं बदला जाएगा। इन संशोधनों पर चर्चा पूरे दिन चली। डॉ. अंबेडकर ने अपने जवाब में कहा: मुझे डर है कि मैं इस अनुच्छेद में पेश किए गए संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

भारत को तोड़ने वाली ताकतें हमेशा हिंदू एकता को तोड़ने के लिए काम करती हैं ताकि वे अपने लाभ के लिए राजनीतिक और नौकरशाही सत्ता का इस्तेमाल कर सकें। राष्ट्र को सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से नष्ट कर सकें और प्रत्येक भारतीय में दासता पैदा कर सकें। वे जिस नियमित रणनीति का उपयोग करते हैं, वह है हिंदुओं को जाति के आधार पर विभाजित करना। वे एससी, एसटी और ओबीसी लोगों के दिमाग में जहर भरने के लिए झूठे विमर्श विकसित करते हैं, जिससे वे हिंदुओं और हिंदुत्व से नफरत करने लगते हैं। वे आंशिक रूप से सफल रहे फिर भी उन्होंने देश के ताने-बाने को काफी हद तक नुकसान पहुचा दिया। अब समय आ गया है कि भारत बनाने वाली ताकतें इन झूठे आख्यानों का मुकाबला करें और सभी के लाभ के लिए हिंदुओं को एकजुट करें। आइए हम दो झूठे आख्यानों की जांच करें जो एससी और एसटी जातियों के दिमाग में जहर भर रहे हैं- 1. समान नागरिक संहिता आरक्षण को खत्म कर देगी। 2. उच्च जाति के हिंदुओं ने जाति और जाति भेदभाव की व्यवस्था तैयार की।

समान नागरिक संहिता : समान नागरिक संहिता की अवधारणा सभी धर्मों और सामाजिक समूहों के लिए एक समान नागरिक संहिता (विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, तलाक, इत्यादि) की स्थापना को संदर्भित करती है। भारत में अब कई पारिवारिक कानून हैं; समान नागरिक संहिता लागू करने से कानूनों में सामंजस्य आएगा, जिसके परिणामस्वरूप दक्षता और पारदर्शिता आएगी। एक मानक नागरिक संहिता होने के कई फायदे हैं। आरक्षण समान अवसर के बारे में है; यह वंचित आबादी को दी जाने वाली एक तरह की सकारात्मक कार्यवाही है। आरक्षण का समान नागरिक संहिता से कोई संबंध नहीं है। समान नागरिक संहिता धर्म के बारे में है, जबकि आरक्षण सामाजिक समानता के बारे में है। जरा विचार करें, इस्लामी धर्म में, वे चार पत्नियाँ नहीं रख पाएँगे। वे मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं कर पाएँगे। इस्लामी कानून अब विवाह जैसे व्यक्तिगत मामलों में लागू नहीं होगा। एक मुस्लिम लड़की पंद्रह वर्ष की आयु में विवाह नहीं कर पाएगी। वे तीन तलाक और निकाह हलाला को लाद नहीं पाएँगे। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा। उन्हें संपत्ति पर समान अधिकार होगा। मुल्ला न्यायाधीश के रूप में अपनी शक्ति खो देंगे। सभी मामलों का फैसला अदालत में होगा। ये सभी सकारात्मक बातें हैं। हालाँकि, कुछ मुसलमान इन नियमों को इस्लाम विरोधी मान सकते हैं और इनका विरोध कर सकते हैं। वे प्रागैतिहासिक काल में रहना चाहते हैं। कुछ लोगों की आलोचना के बावजूद, यूसीसी का मुस्लिम समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

यूसीसी पर डॉ. अंबेडकर के विचार : नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता- राज्य नागरिकों के लिए पूरे भारत में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 44 में कहा गया है, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत हमारे संविधान के भाग आईवी में निहित 16 अनुच्छेदों (अनुच्छेद 36 से 51 तक) में से एक है। अनुच्छेद 44 को 23 नवंबर, 1948 को संविधान सभा में डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद 35 के प्रारूप के रूप में पेश किया गया था और उसी दिन सर्वसम्मति से पारित किया गया था। हालांकि, चर्चा के दौरान, कुछ मुस्लिम सदस्यों ने प्रावधान जोड़ने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए, अर्थात, बशर्ते कि कोई भी समूह, वर्ग, समुदाय या लोग अपने व्यक्तिगत कानून को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होंगे, यदि उनके पास ऐसा कोई कानून है, और, बशर्ते कि किसी भी समुदाय का व्यक्तिगत कानून जिसकी गारंटी क़ानून द्वारा दी गई है, समुदाय की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं बदला जाएगा। इन संशोधनों पर चर्चा पूरे दिन चली। डॉ. अंबेडकर ने अपने जवाब में कहा: मुझे डर है कि मैं इस अनुच्छेद में पेश किए गए संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे मित्र, श्री हुसैन इमाम ने संशोधनों का समर्थन करते हुए पूछा कि क्या इतने विशाल देश के लिए एक समान कानून संहिता होना संभव और वांछनीय है। अब मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं उस कथन से बहुत आश्चर्यचकित था, इसका सीधा-सा कारण यह है कि हमारे देश में मानवीय संबंधों के लगभग हर पहलू को कवर करने वाली एक समान कानून संहिता है। हमारे पास पूरे देश में एक समान और पूर्ण आपराधिक संहिता है, जो दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निहित है। हमारे पास संपत्ति के हस्तांतरण का कानून है, जो संपत्ति संबंधों से संबंधित है और जो पूरे देश में लागू है और मैं ऐसे असंख्य अधिनियमों का हवाला दे सकता हूँ जो साबित करेंगे कि इस देश में व्यावहारिक रूप से एक नागरिक संहिता है, जो अपनी सामग्री में एक समान है और पूरे देश में लागू है। यह तथ्यात्मक सामग्री स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर सभी के लिए नागरिक आचरण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक समान नागरिक संहिता स्थापित करने के लिए समर्पित थे, उनका नागरिक संहिता को आरक्षण से जोड़ने का कोई इरादा नहीं था। हालाँकि, उन्हें लगातार सत्ता में बैठे लोगों और संसद के कई सदस्यों द्वारा चुनौती दी गई और दबाया गया, जिन्होंने या तो संविधान का सम्मान करने से इनकार कर दिया या हिंदुओं को विभाजित करने के अवसर तलाशे। कोई राय बनाने से पहले, एससी और एसटी समुदायों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने यूसीसी के बारे में क्या कहा था।

जाति व्यवस्था किसने शुरू की : वर्तमान जाति व्यवस्था, जिसमें जाति को जन्म से परिभाषित किया जाता है, वैदिक साहित्य में वर्णित नहीं है। वैदिक सामाजिक श्रम विभाजन को मूल रूप से वर्णाश्रम के रूप में जाना जाता था। भगवद-गीता (4.13) में कहा गया है कि वर्णाश्रम व्यवस्था जन्म के बजाय गुण और कर्म, या आधुनिक बोलचाल की भाषा में कहें तो दृष्टिकोण और योग्यता पर आधारित है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार, गौतम ऋषि ने दासी के पुत्र सत्यकाम जाबालि को ब्राह्मण घोषित किया क्योंकि वह अडिग सत्यवादी था, जो एक सच्चे ब्राह्मण की पहचान है। सूत गोस्वामी, कनक, कांचीपुरम, तुकाराम, तिरुवल्लुवर, सुरदास और हरिदास ठाकुर सभी को हाशिए के परिवार में जन्म लेने के बावजूद संतों के रूप में सम्मानित किया गया। एक प्रसिद्ध वैदिक सूत्र दोहराता है:

जन्मना जायते शूद्र: संस्कारात् भवेत द्विज:। वेद पाठात् भवेत् विप्र:ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण:।। हर कोई शूद्र के रूप में जन्म लेता है, जिसका अर्थ है कि वे अयोग्य हैं। आध्यात्मिक दीक्षा व्यक्ति को नवजात में बदल देती है, जिसका अर्थ है कि वह अपना आध्यात्मिक अस्तित्व शुरू करता है।

कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा में शामिल करें ये 5 खास चीजें, लड्डू गोपाल होंगे प्रसन्न

हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि उनका जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में हुआ था। इस साल 26 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती हैं। भारत में जन्माष्टमी के पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों व कॉलोनी में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस साल जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ कृत्तिका नक्षत्र संयोग बन रहा है। इस योग और नक्षत्र में लड्डू गोपाल की आराधना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती हैं। वहीं इस दिन की जाने वाली पूजा को हमेशा संपूर्ण सामग्रियों से करना चाहिए, इससे कान्हा जी प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आइए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा सामग्री के बारे में जान लेते हैं।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पूजा सामग्री

कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के लिए आप केले के पत्ते, श्रीकृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर, चावल, गेहूं, गुलाब और लाल कमल के फूल और भगवान के वस्त्र को शामिल करें। इसके अलावा जल कलश, सफेद कपड़ा, लाल कपड़ा, पंच रत्न, दीपक, बड़े दीपक के लिए तेल, नारियल, धूप बत्ती, अगरबत्ती और कपूर को रखें। पूजा में केसर, चंदन, कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल, अभ्रक, हल्दी, आभूषण, रुई, रोली, सिंदूर, सुपारी, पान के पत्ते, पुष्पमाला और तुलसी माला को रखें। पंच मेवा, गंगाजल, शहद, शक्कर, तुलसी दल, शुद्ध घी, दही और दूध को जरूर शामिल करें। ऋतुफल, नैवेद्य या मिष्ठान्न, छोटी इलायची, लौंग मौली, इत्र की शीशी, सिंहासन, बाजोट या झूला (चौकी, आसन), पंच पल्लव और पंचामृत भी लें।

लड्डू गोपाल का श्रृंगार

जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी को श्रृंगार के लिए मोरपंख से बने वस्त्र पहनाएं। इसके अलावा मोर मुकुट को जरूर शामिल करें। माना जाता है कि इससे कान्हा जी प्रसन्न होते हैं। लड्डू गोपाल के श्रृंगार में कड़े, पाजेब और कमरबंध को भी शामिल करें। साथ ही कन्हैया जी के श्रृंगार के समय उन्हें कुंडल और जयंती की माला भी पहनाएं।

जन्माष्टमी के दिन इस विधि से करें लड्डू गोपाल की पूजा, जानिए इस दिन का शुभ मुहूर्त

हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन मथुरा, वृंदावन से लेकर इस्कॉन में इसकी अलग रौनक देखने को मिलती हैं। इस दौरान मंदिरों में भव्य तरीके से कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी के अवतार श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में हुआ था। वहीं इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन जयंती योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में लड्डू गोपाल की पूजा और व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कृष्ण जी के बाल रूप का पूजन किया जाता है। ऐसा करने पर कार्यों में सफलता से लेकर मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में आइए जन्माष्टमी पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं।

जन्माष्टमी तिथि 2024

इस साल जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त 2024 को रखा जाएगा।

अष्टमी तिथि प्रारम्भ - अगस्त 26 को 3:39 सुबह

अष्टमी तिथि समाप्त - अगस्त 27 को 02:19 सुबह

रोहिणी नक्षत्र प्रारम्भ - अगस्त 26, 2024 को 03:55 सायं

रोहिणी नक्षत्र समाप्त - अगस्त 27, 2024 को 03:38 सायं

जन्माष्टमी पूजन विधि

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह ही स्नान कर लें। फिर साफ वस्त्रों को धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान पर सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। अब एक चौकी लें, और उसपर साफ कपड़ा बिछाएं। चौकी पर लड्डू गोपाल को स्थापित करें। फिर चंदन लगाएं और फूल उन्हें अर्पित करें। इसके बाद रात में पूजा मुहूर्त के समय कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें। फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं।

इसके बाद केसर का तिलक लगाकर मोर मुकुट और बांसुरी उनके पास रखें। लड्डू गोपाल को तैयार करने के बाद उन्हें झूला झुलाएं। अंत में माखन-मिश्री का भगवान को भोग लगाकर आरती करें। इस दौरान परिवार के साथ सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें।

शुभ मुहूर्त 2024

जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त देर रात 12:00 से लेकर 12:45 (अगस्त 27) तक रहने वाला है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। योग का समय 26 अगस्त दोपहर 03:55 से लेकर 27 अगस्त को सुबह 05:57 तक रहने वाला है।

कृं कृष्णाय नम:

देविकानन्दनाय विधमहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण:प्रचोदयात ओम क्लीम कृष्णाय नम:

गोकुल नाथाय नम:

धर्म

कृष्ण जन्माष्टमी पर करें तुलसी के ये उपाय, प्रसन्न होंगे लड्डू गोपाल

हिंदू धर्म में जन्माष्टमी त्योहार का विशेष महत्व होता है। जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। इस वर्ष 26 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की जाती है और कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ खास उपाय करने से भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अनेक प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण को तुलसी बेहद प्रिय है, यही वजह है कि जन्माष्टमी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ खास उपाय करना बेहद शुभ साबित हो सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

तुलसी का महत्व : तुलसी को हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है। इसे सभी देवताओं को प्रिय माना जाता है, विशेषकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को। तुलसी के पौधे को घर में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है।

जन्माष्टमी पर तुलसी के उपाय : जन्माष्टमी के दिन तुलसी के समक्ष भगवान श्रीकृष्ण के चार नाम- गोपाल, गोविंद, देवकीनंदन, और दामोदर का उच्चारण करें। साथ ही ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नम: मंत्र का भी जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जन्माष्टमी के दिन जब पूजन के समय कान्हा को माखन का भोग लगाएं तो उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। अगर आप नौकरी या बिजनेस में तरक्की पाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। जन्माष्टमी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाने से वैवाहिक जीवन में आ रही दिक्कतें दूर हो जाती हैं और दांपत्य जीवन खुशहाल रहता है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी से जुड़े उपाय करने से भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और ऐसे भक्तों पर उनकी विशेष कृपा होती है। तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। इसलिए, जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा-अर्चना अवश्य करें और इसके उपायों को अपना सकते हैं।

कोल क्षेत्र छूटा तो रोजगार के लिए हरित क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं

मुद्दा

अमिताभ पाण्डेय

वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (डब्लू सी एल) भारत के कोयला मंत्रालय अन्तर्गत कोल इंडिया लिमिटेड का प्रमुख हिस्सा है इसे भारत की मिनीरत्न कंपनी माना जाता है। इसकी कोयला खदानें मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया, जुन्नारदेव, क्षेत्र में भी हैं ,जो अब बंद हो चुकी है। इसका कारण यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए पैरिस समझौते के अनुसार भारत को वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। इसके लिए कोयले के उपयोग से ऊर्जा का उत्पादन करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना होगा। भारत सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके साथ ही कोयले के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्रों को धीरे-धीरे बंद किया जा रहा है क्योंकि कार्बन उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत कोयला भी है ।यही कारण है कि कोयले की खदानों को बंद किया जा रहा है। खदानों के बंद होने से इस क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी और मजदूर परिवारों के के लिए जिंदगी जीना मुश्किल हो गया। ऐसे में मजदूर परिवारों ने दूसरे रोजगार की तलाश शुरू की। महिलाओं ने अब कृषि उत्पादन, जैविक खेती, पशुपालन, मछली पालन सहित अन्य घरेलू कार्यों को अपने रोजगार का माध्यम बना लिया है। इस संबंध में घोरवाडी गांव में रहने वाली लगभग 64 वर्षीय उषा आम्रवंशी के बारे में बताना जरूरी होगा। कभी डब्लू सी एल की कोयला खदानों में मजदूर रही उषा आम्रवंशी के खेत में इन दोनों धान की फसल लहलहा रही है। वे धान , मक्का , सोयाबीन के साथ ही अपने खेत में आलू, टमाटर , लौकी जैसी सब्जियां भी उगाती हैं । अपनी फसल और सब्जियों को उगाने के लिए केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करती । जैविक खेती से फसल और सब्जी का उत्पादन करती हैं। यही कारण है कि उनकी फसल और सब्जियां बाजार में अधिक दाम पर बिकती हैं। इससे उनको रोजगार मिल गया।

अपनी रोजी-रोटी चलाने में सुविधा हो गई। कोयला खदान बंद होने के बाद उषा और उनके पति सुखलाल आम्रवंशी सामने रोजगार खत्म हो जाने की जो समस्या आई , उसे उन्होंने जैविक खेती करते हुए दूर कर लिया है। इसी तरह गोरा उईके , कविता पंवार , सरोज इवनाती , सीमा कादरी, अंजना नागवंशी , प्रभा स्वामी, सविता सोनी, ज्योति सोनी, कौशल्या वर्मा, अभिलाषा सनोडिया, उमा प्रजापति,रामवती झरबडे , इन्दिरा विश्वकर्मा, अनिता नररे, पार्वती पंवार , सुनीता कुशवाहा , रोशनी श्रीवास्तव, मंगली चौकीकर, कंचना नागले , प्रिया आरसे, कन्नाबाई , श्रध्दा नागले, भागवती, सुनीता मौर्य, दीपिका धुर्वे, सरिता वानवंशी, अनुसुइया कलमे, कमला उईके, जैसी जरुरतमंद महिलाएं भी समूह बनाकर जैविक कृषि उत्पादन कर रही हैं। जैविक खाद और जैविक कीटनाशक बनाकर बेच रही हैं। मछली पालन , पशुपालन जैसे काम करते हुए पैसा कमा रही है। समूह बनाकर रोजगार करने से इनका जीवन आसान हो गया है। कोयला खदान बंद होने के बाद हरित क्षेत्र में रोजगार करते हुए ये महिलाएं पर्यावरण को बेहतर बनाने में भी योगदान दे रही हैं। उषा आम्रवंशी ने उम्मीद स्व सहायता समूह के नाम से महिलाओं की एक टीम बनाई है। दांतला नामक गांव में रहने वाली रीना खेत्रपाल के महिला समूह का नाम सांई स्व सहायता समूह है। विशाला गांव में रहने वाली पार्वती पंवार , उषा झरखडे सहित लगभग 200 महिलाओं ने शिवा नाम से समूह बनाया है। इन्होंने जैविक खेती, मिलेट उत्पादन , पशुपालन, मछली पालन, जैविक खाद बनाने, जैसे काम करके अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बना ली है। यह सभी महिलाएं ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से वित्तीय सहयोग लेकर और कृषि संबंधी कार्यों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन लेकर जैविक कृषि उत्पादन जैविक खाद बनाना , मिलेट्स का उत्पादन पशुपालन सहित अन्य कार्य कर रही हैं इन कार्यों से महिलाओं की आमदनी बढ़ी है। उषा बताती हैं कोयला खदान बंद होने के बाद मेरे सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था । मैं घर परिवार चलाने के लिए कुछ काम की तलाश कर रही थी। मेंने जरूरतमंद महिलाओं को इकट्ठा कर समूह के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां शुरू की ।